आर.एन.आर.

एमएम कुमार और टीपीएस मान जे.जे के समक्ष

प्रिंसिपल, एमडी सनातन धर्म गर्ल्स कॉलेज,

अंबाला शहर और अन्य, - याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा और अन्य.-प्रतिवादी

2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 453

14 जनवरी 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—सूचना का अधिकार ^अधिनियम, 2005—5.2(एच)–सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली एक गैर-सरकारी संस्था – चाहे 2005 अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक एयूटी ^ 0 ^' द्वारा कवर की गई हो - आयोजित , हां - 2 (एच) के प्रावधानों में कोई भी स्वामित्व वाला, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित या गैर - सरकारी संगठन शामिल है जो उचित सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है - याचिकाकर्ता को निर्देश देने वाला आयोग का आदेश - कॉलेज को 2005 अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है -याचिका खारिज.

माना गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा प्रथम श्रेणी में स्वशासन के वे प्राधिकरण, निकाय या संस्थाएँ हैं जो संविधान द्वारा या उसके अंतर्गत या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेशों द्वारा स्थापित या गठित हैं, दूसरे भाग में लोक प्राधिकारी हैं। 'किसी भी स्वामित्व वाले, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित

या गैर-सरकारी संगठन को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जो उचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए गए धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को वितरण के लिए हरियाणा राज्य से 95% सहायता प्राप्त हो रही है। वेतन और अपने कर्मचारियों के खर्चों को पूरा करने के लिए। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 2 (एच) (डी) (ii) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया गया है, अर्थात् 'गैर-सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त द्वारा प्रदान किए गए धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है।

(पैरा 6)

पीके मुटनेजा, याचिकाकर्ता *के वकील।*

एम.एम. कुमार, जे.

(1)तत्काल याचिका में उठाया गया संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या एमडी सनातन धर्म गर्ल्स कॉलेज, अंबाला सिटी (संक्षेप में 'कॉलेज') जो हरियाणा राज्य से 95 प्रतिशत सहायता प्राप्त कर रहा है, दी गई परिभाषा के अनुसार 'सार्वजनिक प्राधिकरण' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) में (संक्षिप्तता के लिए 'अधिनियम')। राज्य सूचना आयुक्त-प्रतिवादी नंबर 1 (संक्षिप्तता के लिए 'आयोग') ने माना है कि कॉलेज अधिनियम की धारा 2 (एच) में दी गई परिभाषा के अनुसार 'सार्वजनिक प्राधिकारी' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है और याचिकाकर्ता को पूर्ण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए हैं प्रतिवादी संख्या 2 को उसके द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2007 के आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी, विवादित आदेश की प्राप्ति के कई दिनों के भीतर दी जाएगी। आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है.

(2) तथ्य विवाद में नहीं हैं. सुश्री वनिता सूद, प्रतिवादी संख्या 2, एक संगीत शिक्षिका हैं और कॉलेज में कार्यरत हैं। एक अभिभावक ने उनके खिलाफ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को संगीत की व्यावहारिक परीक्षा के दौरान वनिता सूद ने प्रताड़ित किया था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश पर कॉलेज की प्रबंध समिति ने तथ्यान्वेषी जांच का आदेश दिया। तथ्य की रिपोर्ट इस जांच को प्रबंध समिति के समक्ष रखा गया था, जिसमें

वनिता सूद द्वारा बाहरी परीक्षक नियुक्त करने पर असंतोष दिखाया गया था। तदनुसार, प्रबंध समिति ने अपने अध्यक्ष से एक विस्तृत जांच करने के लिए कहा, जिन्होंने दो सदस्यों के साथ मिलकर वनिता सूद को जवाब देने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की । प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया गया। इसी आधार पर उसे चेतावनी की सजा दी गयी. उसने कोई अपील दायर नहीं की, हालाँकि अपील का उपाय उपलब्ध था। हालाँकि, उसने 22 अगस्त, 2007 को एक लिखित आवेदन (अनुलग्नक पी.2) के माध्यम से अधिनियम के तहत जानकारी के लिए अनुरोध किया और 20 सितंबर, 2007 को एक अनुस्मारक भेजा। कॉलेज ने 19 अक्टूबर, 2007 को उत्तर भेजा (अनुलग्नक पी.4) उसके द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दावा किया कि यह अधिनियम की धारा 2 (एच) के अर्थ में 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं था। हालाँकि, सुश्री वनिता सूद ने आयोग में एक अपील दायर की (अनुलग्नक पी.5) जिसका जवाब कॉलेज द्वारा 12 नवंबर, 2007 को दायर किया गया (अनुलग्नक पी.6)। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मुद्दा उठाया कि कॉलेज की स्थापना सनातन धर्मसभा द्वारा की गई थी, जो एक पंजीकृत सोसायटी है और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यह भी तर्क दिया गया है कि कॉलेज कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध है और हरियाणा संबद्ध कॉलेजों (सुरक्षा) के अंतर्गत आता है। (सेवा) नियम, 2006। आयोग ने तर्कों पर विचार करने के बाद

निम्नलिखित दो मुद्दों को तैयार किया गया: -

"1. क्या सरकार से पर्याप्त अनुदान प्राप्त करने वाला एक गैर-सरकारी संस्थानएक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित किया गया है।

2. क्या शिकायतकर्ता सूचना तक पहुंच पाने का हकदार है 22 अगस्त, 2007 को उनके आवेदन द्वारा मांगा गया।"

(3) मुद्दे संख्या 1 पर, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि गैर- सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उचित सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, भले ही एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा स्थापित किए गए हों, धारा 2 (एच) (डी) द्वारा शामिल 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। (एन) अधिनियम के . दूसरे मुद्दे के संबंध में आयोग ने माना कि वनिता सूद उनके द्वारा मांगी गई जानकारी तक पहुंच पाने की हकदार थीं। आगे यह राय दी गई कि अनुरोध छूट प्रावधान के तहत कवर नहीं किया गया था

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री पीके मुटनेजा।प्रस्तुत किया गया कि अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की जांच 1 होगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त वित्तपोषण के प्रश्न से पहले हो प्राचार्य उपयुक्त सरकार द्वारा वित्त पोषण का निर्णय लिया जाता है, सूचना चाहने वाले पर पहले यह साबित करना अनिवार्य है कि 'सार्वजनिक प्राधिकरण' या निकाय की स्थापना या गठन संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार कोई भी संस्था, प्राधिकरण या निकाय जो सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से स्थापित या गठित नहीं है, उसे अधिनियम की कठोरता के अधीन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि

जिस कॉलेज या सोसायटी ने कॉलेज की स्थापना की है, वह उपरोक्त किसी भी तरीके से गठित या स्थापित नहीं किया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता को वनिता सूद को जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाला आयोग द्वारा पारित आदेश रद्द किया जा सकता है।

(5) हमने विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और हमारा मानना है कि इस याचिका में योग्यता नहीं है। अधिनियम की धारा 2(एच) का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार है:

"2(एच) लोक प्राधिकरण " का अर्थ है स्थापित या गठित स्वशासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था-

(a) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(b) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(c) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(d) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है: -

(i) स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संस्था;

(ii) गैर-सरकारी संगठन उचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं।

(6) उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा पहली श्रेणी में उन प्राधिकरणों के निकाय या स्वशासन की संस्था से समझौता करती है जो संविधान द्वारा या उसके तहत या संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित या गठित हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा या जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा निर्मित दूसरे भाग में सार्वजनिक

प्राधिकरण को स्वामित्व या नियंत्रण या स्थायी रूप से किसी भी निकाय को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।वित्तपोषित या गैर-सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो। 1 यहां कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को वेतन वितरित करने और अपने कर्मचारियों के खर्चों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य से 95/ओ सहायता प्राप्त हो रही है। इसलिए, यह धारा 2 (एच) (डी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया गया है। ii) अधिनियम के अर्थात् ' गैर-सरकारी संगठन को उचित सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।'

(7) अधिनियम की धारा 2(एच) के खंड (डी) में अभिव्यक्ति 'शामिल' का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि परिभाषा उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है । न्यायिक व्याख्या के प्रसिद्ध सिद्धांतों के अनुसार जहां 'परिभाषित' शब्द घोषित किया गया है कुछ अन्य चीजों को शामिल करने पर, परिभाषा को प्रथम दृष्टया व्यापक माना जाएगा। उस संबंध में, **सीआईटी** बनाम **ताज महल होटल (1)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है । हमारा दृष्टिकोण उनके आधिपत्य द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से पूरी तरह समर्थित है :

> ".....शब्द 'शामिल' का प्रयोग अक्सर क़ानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाने के लिए व्याख्या खंडों में किया जाता है।" जब इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है, तो उन शब्दों और वाक्यांशों को न केवल उन चीजों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए जो वे अपनी प्रकृति और आयात के अनुसार इंगित करते हैं, बल्कि उन चीजों को भी समझते

(1) (1971)3 S.C.C 550

हैं जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है कि वे शामिल होंगे। "शामिल" शब्द अन्य निर्माणों के लिए भी अतिसंवेदनशील है , जिसमें जाना अनावश्यक है।"

(8) उपर्युक्त दृष्टिकोण **डोयपैक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **यूओआई (2)** के मामले में भी लिया गया है

(9) हमारा यह भी मानना है कि अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है और लोकतंत्र को एक सूचित नागरिक की आवश्यकता होती है और जानकारी की पारदर्शिता को लोकतंत्र के कामकाज के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। अधिनियम का लंबा शीर्षक इस प्रकार है:

"नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अधिनियम जिसके अंतर्गत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगीसार्वजनिक प्राधिकरणों का नियंत्रण,प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए।

जबकि भारत के संविधान नेलोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है;

और जबकि लोकतंत्र को एक सूचितनागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज के लिए और 'भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों और उनके उपकरणों को शासितों के प्रति जवाबदेह रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं;

और जबकि वास्तविक व्यवहार में जानकारी के प्रकटीकरण से अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव होने की संभावना है, जिसमें सरकार के कुशल

(2) (1988)2 S.C.C 299

संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण शामिल है ;

आदर्श की सर्वोपरिता को बनाए रखते हुए इन परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है ;

अब, इसलिए,उन नागरिकों को कुछ जानकारी प्रदान करना समीचीन है जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं।

(10) अधिनियम का उपर्युक्त शीर्षक इन प्रावधानों की उदार व्याख्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालेगा जो कि 'राज्य की साधनात्मकता' अभिव्यक्ति के उपयोग द्वारा समर्थित है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की अभिव्यक्ति के दायरे में आता है और इस प्रकार यह आदेश हमलावर है। तदनुसार, रिट याचिक

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा